प्रेषक,

अ...

संख्या 382/XXXIV-1/2020–06/2006 TCI

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग। **देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2020**

विषयः— कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों की मूल्य सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश संख्या–285/पी0एस0/2006 दिनांक 23.10.2006 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों, परिषदों एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में ₹ 1.00 लाख से अधिक मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय में मानक सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गयी थी। शासनादेश संख्या– 403/XXXIV/2016– 06/2006 टी0सी0–1 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए ₹ 1.00 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख किया गया था।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबंधित उपकरणों/कार्यों के मूल्य/लागत में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत उक्त शासनादेश में उल्लिखित ₹ 10.00 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख किया जाता है। इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से ₹ 10.00 लाख से अधिक के कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टताएं (Technical Specifation) तकनीकी समिति से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। शासनादेश संख्याः 285 दिनांक 23–10–2006 एवं शासनादेश संख्या– 403/XXXIV/2016–06/2006 टी0सी0–1 दिनांक 26.10.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या 382/XXXIV-1/2020–06/2006 TC-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—